


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्टेट जरिये श्रीमती सरोज विश्वादे, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बीकानेर : ब न म : श्री राजाराम पुत्र तोलाराम निवासी हनुमान मंदिर के पास, किशमीदेसर, गंगाशहर, बीकानेर (प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6(ए) ई.सी.एक्ट, 1955) मुकदमा संख्या 13/19</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>19.02.2020</p>	<p>: आ दे श :</p> <p>उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर्स का उपयोग अपने व्यवसायिक स्थल पर किया जाना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 के खण्ड 3(1)(सी), 3(2) तथा खण्ड 7(सी) का उल्लंघन तारीफ में आता है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपनी बहस का समापन करते हुए अप्रार्थी के कब्जे से जबाशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर्स को बहक सरकार अधिहरण किये जाने की इस्तदुआ की।</p> <p>अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि घर में शादी होने के कारण आस पड़ोस के गैस सिलेण्डर इकट्ठे कर रखे गये थे। गैस सिलेण्डरो का अवैध रिफिलिंग कार्य करने की मंशा नहीं थी। ना ही वह ऐसा काम करता है। अतः जब्त किये गये सिलेण्डर वापिस दिलाये जाये।</p> <p>हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का उपयोग एवं भण्डारण किया जाना फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगी नामे से प्रमाणित है। अप्रार्थी ने अपने कथनों की तारीख में ऐसा कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर अप्रार्थी के कथनों पर विश्वास किया जा सके। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी द्वारा 17 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा)(प्रार्थना पत्र में उल्लेखानुसार) 01 गैस रिफिलिंग मशीन मय पाईप, रेग्युलेटर व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा (गैस तौलने हेतु) जिन्हे मौके पर जब्त किया गया, को व्यवसाय स्थल पर दुरुपयोग करते हुए वाणिज्यिक प्रयोग लेना एवं भण्डारण किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 के खण्ड 3(1)(सी), 3(2) तथा खण्ड 7(1)(सी) के उल्लंघन की तारीफ में आता है।</p> <p>अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी धारा 6(ए) स्वीकार किया जा कर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में वर्णित 17 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा)(प्रार्थना पत्र में उल्लेखानुसार) 01 गैस रिफिलिंग मशीन मय पाईप, रेग्युलेटर व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा (गैस तौलने हेतु) जिन्हे मौके पर जब्त किया गया, को को एतद् द्वारा बहक सरकार अधिहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि उपर्युक्तानुसार सीजशुदा गैस सिलेण्डर में अनूप भारत गैस की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखे हुए हैं व इनका निस्तारण संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा ही किया जाना है। अतः यदि संबंधित ऑयल कम्पनी प्रश्नगत गैस सिलेण्डर्स को किसी उपभोक्ता के हक में कनेक्शन नये सिरे से देती है तो कनेक्शन से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा कराएँ। और कम्पनी यदि सिलेण्डर्स को उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाती है तो D.S.O. / स्टॉफ के समक्ष इसको Destroy करें एवं Destroy के पश्चात् उसके स्क्रेप तथा एक गैस रिफिलिंग मशीनो व रेग्युलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा को सार्वजनिक नीलामी (Public auction) के जरिये नीलाम करें तथा नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा करावें। इस आदेश की प्रति D.S.O. व संबंधित ऑयल कम्पनी को पालनार्थ भेजी जावे। मिसल फौसल शुमार की जा कर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 19.02.2020 हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (कुमार-पाल गौतम) जिला कलक्टर, बीकानेर </p>	